Case No



Order Sheet

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where necessary

आवेदक/आरोपी २०० भारत भारत 7/31) की ओर से श्री असीरा 2385 2000 अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा०फो० का पेश किया ।

नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय

प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे ।

आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे । प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन / अभिलेख प्राप्ति / तर्क हेतु दिनांक

11 31) को पेश हो ।

विश्वे यायाधीय (डकेती गोहद जिला- भिण्ड (भ ४

11-3-2017

12:00

10

12:15P.M

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह अपर लोक अभियोजक। प्रकरण आरोपी / आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ताः उप०।

पुलिस थाना गोहद से अपराध कमांक-163 / 2014 की कैफियत प्राप्त।

मूल प्रकरण क्रमांक-15/2016 पेश ।

प्रकरण आरोपी/आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह के

जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेत् नियत है।

पुलिस थाना गोहद के अपराध कमांक-163/2014 धारा-392 भादवि. तथा धारा-11, 13 उकैती अधिनियम के अपराध में आरोपी / आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह की ओर से प्रस्तृत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को स्ना गया।

आवेदक अधिवक्ता ने आरोपी/आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह का प्रथम जमानत आवेदनपत्र होना बताते हए

> विश्रेष न्यायाधीश (डकेती गोहद जिला- भिण्ड (म प्र

जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया समर्थन में रामनिवास का शपथपत्र पेश किए । इसलिये आरोपी/आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंड के प्रथम जमानत आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है ।

आरोपी / आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह का कहना है कि पुलिस ने उसके विरोधियों से मिलकर गलत रूप से आरोपी बना लिया है, उसके अधिक समय तक जेल में रहने से उसका जीवन बरवाद हो जायेगा । वह जेल में बंद है, आवेदक मजदर पेशा व्यक्ति है, उसके अधिक समय से रहने से उसका परिवार भूखा मर जायेगा । एवं सहअभियुक्त सीटा उर्फ सीटू की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-14884/2016 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है, एवं सहअभियुक्त मुनेन्द्र की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीट ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-11773 / 2016 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है, एवं सह अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, उसका मामला उनसे भिन्न नहीं है, समानता रखता है, वह जमानत की सभी शर्ती का पालन करेगा, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोडने का निवेदन किया।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है, उनका मामला जमानत पर रिहा आरोपीगण से भिन्न है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आरोपी/आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध करते हुए निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

मूल प्रकरण के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि दिनांक—18/05/2014 के शाम करीब 07:30—08:00 बजे पिपरसाना मौजा आम रोड दो खम्मा के पास चितौरा पिपरसाना के बीच अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड में फरियादी नरेन्द्र अपनी मोटरसाइकिल नंबर—एम.पी.—30 एम. जी.—9230 से भिण्डी की सब्जी लेकर गोहद जा रहा था, तभी आरोपीगण ने उसकी मोटरसाइकिल रोकी, जब फरियादी ने अपनी मोटरसाइकिल रोककर भागने लगा तभी एक आरोपी ने कटटे से हवाई फायर किया जिससे फरियादी नरेन्द्र खडा हो

विश्रेष न्यायाधीश (डकेती गोहद जिला- भिण्ड (म प्र

Order Sheet [Contd]



D	ate	of
0	rder	or
Pro	ceed	ding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

गया, और आरोपीगण ने फरियादी का सैमसंग कंपनी का काले रंग का मोबाइल जिसमें सिम नंबर—9009603277 थी. एक सोने की अंगूठी लूटकर ले गये, चारों बदमार स्थानीय देहाती भाषा बोल रहे थे, और ककरारी के रहने वाल बताये थे। उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपार्ट फरियादी ने थाना गोहद पर लिखायी थी। जिसपर से थाना के अप.क.—163/2014 धारा 392 भा.द.वि. एवं तथा धारा 11/13 एम पी.डी.पी.के. एक्ट के अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में सहअभियुक्त सीटू उर्फ सीटा को माननीय उच्च न्यायालय के विविध आप. प्र.क. —14884/2016 के माध्यम से आरोपी को जमानत की सुविधा प्रदान की गयी है। एवं सहअभियुक्त मुनेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय के विविध आप. प्र.क.—11773/2016 के माध्यम से आरोपी को जमानत की सुविधा प्रदान की गयी है। एवं सहअभियुक्त राघवेन्द्रसिंह को दिनांक—20/02/2017 को जमानत पर रिहा इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

अभियोजन कथानक मुताबिक जो घटना बतायी गयी है उससे आरोपी/आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह रवं माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा आरोपीगण सीटा उर्फ सीटू एवं आरोपी मुनेन्द्र तथा इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा आरोपी राघवेन्द्रसिंह तोमर का कृत्य मिन्न प्रतीत नहीं होता है, समानता रखता है। आरोपी/आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायालय में अभियोगपत्र पेश हो चुका है, प्रकरण के निराकरण में स्मय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त आरोपी/आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह को समानता के सिद्धांत के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

बाद विचार आरोपी / आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह का जमानत आवेदनपत्र गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आरोपी / आवेदक राजेश पुत्र गब्बरसिंह की ओर से 50-50 हजार रूपये की दो सक्षम जमानतें एवं इतनी ही राशि का

> विश्रेष न्यायाधीश्र (डकेती गोहर जिला- भिण्ड (म प्र

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Pleade - nece
	स्वयं का बंधपत्र धारा-437 (3) जा.फौ. में उपबंधित शर्तों सहित प्रस्तुत हो तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे । आरोपी प्रत्येक 15 दिवस में न्यायालय में उपस्थित रहेगा। आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की	
	जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड	
	हो।	
	विशेष न्यायाधीश, गोहद	
	जिला भिण्ड जिला भिण्ड	
	र कि है कहार में प्रकार ने इंग के काइपर के 507 के विकित्त	
	अस्य प्राप्त के प्राप्त	
	्राहरीय कि तम्प्रिय के सीखाई से आखाई के Arox (Assa)	
	मिलिन कि जन्में किश्विद्यात्रात्र हैं। के किए कि लाइए	
	उस्त नावालय के विविध साप एक, 19773 / 2016 के म, व्यन से आरोपी का जमलब की गुण्या प्रदेश की गार्थी हैं।	
	प्रस्थानिक प्राथितको प्राधितको प्राधितको प्राधितको प्राधितको प्राधितको प्राधितको प्राधितको प्राधितको प्राधितको	
	प्राथम के भीने जिल्ला प्रिये प्रतिकार में हैं अपने के समाप्त	
	THE MARKETS IN PURIOR MATTER THE THE	
	हर हारीक्षण हुए एडवाक स्वावक प्रावक है।	
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	
	के किसामा के किस कर किसामा के किसामा के किसामा के किसामा के	
	के निमान कि उत्तिका हम हमा कि निमान कि	